

# फर्द अहकाम


(नियम 26)

अदालत  
उपखण्ड अधिकारी  
भेवासिंह

मुकाम  
बनाम धापू व अन्य

बीर

किस्म मुकदमा 212 प्रकरण संख्या 32 / 2011.....सन .....

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.05.2018	<p>श्री</p> <p>पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान में ग्राम बीर में पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 पर सुना गया। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि आवेदन पत्र के पेरा संख्या 2 में वर्णित भूमि से बेदखल नहीं किए जाने बाबत अप्रार्थीगण के विरुद्ध मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर प्रार्थी के द्वारा कब्जे काश्त के सन्दर्भ में कोई दस्तावेज खसरा गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की गई है जबकि धारा 212 राज कास्तकारी अधिनियम के प्रकरण में कब्जा मुख्य बिन्दु है परन्तु पत्रावली पर कब्जे के सन्दर्भ में कोई राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं ऐसी अवस्था में सुविधा का सन्तुलन अपूर्णीय क्षति प्रथम दृष्टया प्रकरण आवेदनकर्त्ता के पक्ष में प्रमाणित प्रतित नहीं होता है। परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। निर्णय मजमें आम सुनाया। पत्रावली फासल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p> अध्यक्ष लोक अदालत एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर</p>	